


226

पत्रांक सं०-3/एम०-22/2018-सा०प्र०...../

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,  
राजेन्द्र राम  
सरकार के अपर सचिव  
सेवा में,  
सभी जिला पदाधिकारी।  
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी।



99  
[Signature]

विषय:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन नगर निकायों में कार्यरत City Mission Manager Unit (CMMU) कर्मियों को विधि व्यवस्था संबंधी कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन नगर निकायों में कार्यरत City Mission Manager Unit (CMMU) कर्मियों को विधि व्यवस्था संबंधी कार्य में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के कार्यान्वयन हेतु खुली निविदा से चयनित संस्था द्वारा नगर निकायों में City Mission Manager Unit (CMMU) की सेवा उपलब्ध करायी गयी है। ये कर्मी पूर्णतः अस्थायी तथा गैर-सरकारी हैं तथा इन कर्मियों का उत्तरदायित्व भी सीमित है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कर्मियों को विधि व्यवस्था संबंधी कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाय तथा एतदर्थ अपने अधीनस्थों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव

31-12-18  
[Signature]

ज्ञापांक -3/एम०-22/2018सा० प्र०...16899.../पटना-15, दिनांक 24.12.18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18  
[Signature]  
सरकार के अपर सचिव

S.O. 4  
[Signature]

